न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–58/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भंवरसिंह पुत्र जालसिंह जाति राजपूत निवासी रताऊ, तहसील लाडनूँ, जिला नागौर, राज0		1. भारत संघ जरिये सचिव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। 2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर । 3. परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्लोट नं.–156, गिरनार कोलोनी, वैशाली नगर, जयपुर(राज0)

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री गंगासिंह।
2. अप्रार्थी 1 व 3 की ओर से वकील श्री राकेश धनकड़ एवं श्री अनिल गौड़।
3. अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश दिनांकः 02.11.2017

1–प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी)5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।

2–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि–

2(1)– भूमि अवाप्ति कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) ने परिवर्तित करने के लिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 903 बारानी–प्रथम रकबा 0.2049 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1058 बारानी–प्रथम रकबा 0.2036 गजट नोटिफिकेशन संख्या 26251 दिनांक 25.11.2013 के द्वारा अवाप्त करने हेतु किया कि भूमिधारक अपनी आपत्तियां भूमि अवाप्ति अधिकारी नागौर के समक्ष करे, जिस पर प्रार्थी ने मुआवजा उसमें दर्ज आपतियों के आधार पर तय करे। यह आपतियां प्रार्थी ने दिनांक 30.12.2013 को दर्ज की। इसके बाद प्रार्थी को एक सूचना पत्र संख्या–108 दिनांक 22.12.2014 जिसकी छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। दिनांक 22.2.2015 को पटवारी हल्का ने दी, जिसमें

कलक्टर, नागौर

प्रार्थी की भूमि अवाप्ति व मुआवजा निर्धारण की मिली। इस सूचना पत्र से प्रार्थी को अवाप्ति व मुआवजा के बारे में पता चला कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 903 व 1085 का मुआवजा इस भूमि को असिंचित मानकर तय किया है तथा उस पर बने मकानात, टीनशेड, पाईप लाईन आदि का उन्हे उठाने आदि के खर्चा व इनमें खड़े पेड़ों की कीमत का मुआवजा तय नहीं किया है।

2(2)– दोनों ही खसरा नम्बर 903 व 1058 सिंचित भूमि के है ये भूमि गलत कई वर्षों से सिंचित नलकूप से की जा रही है तथा इसमें सिंचित फसले रायड़ा, सरसों, इसबगोल, गेहूँ आदि फसलें बोई जा रही है तथा गिरदावरी में भी ये तथ्य दर्ज है। सिंचित भूमि की बाजार दर 5,00,000/–रूपये प्रति बीघा है। डी.एल.सी. दर से भूमि की बाजार कीमत नहीं आंकी जा सकती। डी.एल.सी. दर व वास्तविक बाजार दर में बहुत ज्यादा अंतर है। डी.एल.सी दर वर्षों से एक ही चल रही है व भूमि के भाव दिन रात बढ़ रहे है।

2(3)– भूमि पर खड़े 20 खेजड़ी, बबूल व बैर आदि के पेड़ों का मुआवजा निर्धारण में शामिल नहीं किया है, जो 5000/–रूपये प्रति पेड़ से कम नहीं हो सकता।

2(4)– भूमि पर 30 गुणा 60 (200वर्गगज) पर पक्का रिहायशी मकान बना हुआ है व उपर की मंजिल पर 10 गुणा 30 फुट के तीन कमरे बने है, टीनशेड 12 गुणा 30 फुट व लेटरीन व बाथरूम बने है, जिनकी लागत 12,00,000/–रूपये है। वह भी मुआवजा राशि में जोड़ना चाहिए।

2(5)– सिंचित भूमि होने से 20,000/–रूपये की पाईप लाईन लगी है वह भी नष्ट हो जायेगी व हटाने में उतना ही खर्चा लग जायेगा वह भी मुआवजा निर्धारण के समय देखना चाहिए था।

2(6)– राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूमि का लाभ प्रार्थी को मिलता है, वह नही मिलेगा सो वह भी मुआवजा तय करते वक्त देखना चाहिए था।

2(7)– प्रार्थी की आपतियों पर कोई निर्णय नहीं किया है एक संयुक्त ही निर्णय कर दिये जाने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने अपनी उक्त बहस में किये गये कथनों के मुजब अवार्ड तय करके संशोधित करने का निवेदन किया है।

3(1)– वकील अप्रार्थीगण (1 व 3) ने बहस में कथन किया की हस्तगत प्रकरण प्रार्थी ने प्रार्थी की अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि खसरा नम्बर 903 बारानी–प्रथम रकबा 0.2049 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1058 बारानी–प्रथम रकबा 0.2036 भूमि अवाप्ति के संबंध में प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुऐ दिनांक 28.10.2014 को रिकार्डेड खातेदार भूमि स्वामी के पक्ष में पारित किया गया है, जिसका उल्लेख अवार्ड के क्रम संख्या–108 व 122 पर किया गया है। इसी प्रकार अवाप्ति अधिकारी द्वारा संरचनाओं के सन्दर्भ में अवार्ड दिनांक 4.8.2016 को विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि में किसी प्रकार की सरंचना नहीं होने से प्रार्थी के पक्ष में सरंचनाओं हेतु कोई अवार्ड पारित नहीं किया गया है।

3(2)– हस्तगत प्रकरण में उक्त खसरा नम्बर 903 व 1058 की अवाप्तशुदा भूमि के सन्दर्भ में हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व एक अन्य रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय पंच महोदय के सक्षम प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकरण संख्या–57/2015 पर दर्ज किया गया है, जिसमें प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 903 व 1058 की अवाप्तशुदा भूमि के सन्दर्भ में पारित अवार्ड को संशोधित करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। उक्त प्रकरण संख्या–57/2015 में अप्रार्थीगण द्वारा जबाब अप्रार्थीगण द्वारा माननीय पंच महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

कलक्टर, नागौर

3(3)– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक ही अनुतोष के लिए प्रार्थी दो रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर विधि बाधित होने से पोषणीय नहीं है।

3(4)– प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या–57/2015 के तथ्यों को छिपाते हुए यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि Concealment of fact की श्रेणी में आने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा स्वीकृत रूप से एक ही खसरा नम्बर की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय पंच महोदय के समक्ष दो रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है, जो कानूनन पेश नहीं किये जा सकने का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4– राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अप्रार्थी संख्या–1 व 3 की ओर से किये गये कथने से सहमति व्यक्त करते हुऐ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

5–वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–**458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900** निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि अवाप्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत प्रार्थी की भूमि के संबंध में भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या 108 व 122 संधारित कर भूमि अवाप्ति अधिकारी नागौर द्वारा प्रार्थी की खातेदारी खेत की भूमि खसरा नम्बर 903 में से रकबा 0.2049 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1058 में से रकबा 0.2036 हैक्टयर भूमि अवाप्त कर मुआवजा निर्धारण के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा हस्तगत रेफरेन्स/मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके प्रकरण संख्या– 58/2017 है। उक्त खसरा नम्बर 903 एवं 1058 में से उक्त अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में समान अनुतोष की मांग करते हुए प्रार्थी भंवरसिंह द्वारा इस न्यायालय में रेफरेन्स/मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–57/2017 भंवरसिंह बनाम भारत संघ वगैरह है। इस प्रकार एक ही प्रार्थी द्वारा समान खसरा नम्बर, समान तथ्यो एवं समान अनुतोष के संबंध में दो रेफरेन्स/मध्यस्थता प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है, जो विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

6–उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत मध्यस्थता का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014 को यथावत कायम रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं होने पर लौटाया जावे।

7–आदेश सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर, नागौर